

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

प्रधान कार्यालय, इन्दिरा नगर, झुंझुनू

फोन न. 01592-237366, 232658, 235725

ccb.jhunjhunu@gmail.com फैक्स न. 01592-232213

(आयोजना एवं विकास अनुभाग)

कमांक :- जेकेएसबी/फा.()/आवि./2023-24/6645

दिनांक :- 16/11/23

शाखा प्रबन्धक,

शाखा

विषय :- मियादी/आवर्ती जमाओं पर देय ब्याज दरों में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासकीय प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 09.11.2023

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत बैंक के प्रशासकीय प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 09.11.2023 के द्वारा बैंक की विभिन्न जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 20.11.2023 से निम्नानुसार संशोधित दरें निर्धारित की गयी है।

क.स.	अवधि	संशोधित ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
1	30 दिवस से 45 दिवस	4.50
2	46 दिवस से 90 दिवस	5.00
3	91 दिवस से 180 दिवस	5.00
4	181 दिवस से 364 दिवस	6.00
5	01 वर्ष एवं अधिक परन्तु 2 वर्ष के कम	7.55
6	02 वर्ष एवं अधिक परन्तु 3 वर्ष के कम	7.30
7	03 वर्ष एवं अधिक परन्तु 5 वर्ष के कम	7.00
8	5 वर्ष से 10 वर्ष तक	7.00

नोट -

1. बचत खातो की जमाओं पर 3.00 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
2. वरिष्ठ नागरिको को रु. 10000/- एवं अधिक की 1 वर्ष व अधिक अवधि की जमाओं पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
3. आवर्ती जमाओ पर वरिष्ठ नागरिको को कोई अतिरिक्त ब्याज दर देय नही होगी।


4. सावधि जमा का परिपक्वता अवधि से पूर्व भुगतान लेने की दशा में जितनी अवधि हेतु जमा बैंक के पास रही है, उस अवधि हेतु प्रचलित ब्याज दर से 1 प्रतिशत कम ब्याज दर या अनुबंधित ब्याज दर से 1 प्रतिशत ब्याज दर दोनों में से जो भी कम हो, के आधार पर ब्याज की गणना कर ब्याज देय होगा।
5. उपरोक्त ब्याज दरे दिनांक 20.11.2023 से प्राप्त नवीन मियादी/आवर्ती जमा राशियों तथा नवीनीकृत जमाओं पर प्रभावी होगी।
6. ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बैंक के पत्र क्रमांक 5066 दिनांक 12.12.13 द्वारा जारी 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिये जाने का निर्णय लागू रहेगा।
7. स्टॉफ को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिये जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं, कि स्टॉफ से निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद ही अतिरिक्त ब्याज दिया जावे।


 (दीपकर प्रबन्ध निदेशक)
 प्रबन्ध निदेशक
 दिनांक :- (16/11/23)
 कुन्कुनु केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०
 कुन्कुनु (राज०)

क्रमांक :-जेकेएसबी/फा. ()/आवि/2023-24/6646

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान प्रशासक एवं जिला कलक्टर झुंझुनू।
2. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय, शीर्ष बैंक, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी/अति. अधि. अधिकारी, बैंक।
4. मुख्य/वरिष्ठ (प्रबन्धक प्रशासन/निप/परि/आवि/ईडीपी/स्टोर) बैंक।
5. सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, शाखा
6. व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., द्वारा संबंधित शाखा।
7. पत्रावली।


 प्रबन्ध निदेशक
 कुन्कुनु केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०
 कुन्कुनु (राज०)